रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042026-271677
CG-DL-E-09042026-271677

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1738]	नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2026/चैत्र 18, 1948
No. 1738]	NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2026/CHAITRA 18, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2026

सं. 05/2026-27

विषय: विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 2.62 में संशोधन।

का.आ. 1806(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 के अध्याय 2 के पैरा 2.62 में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन करती है:

पैरा सं.	मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
2.62	उद्गम प्रमाण पत्र के स्व-प्रमाणन के लिए अनुमोदित निर्यातक स्कीम (i) वर्तमान में, विभिन्न तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए), मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए), व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों (सीईसीए) और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों (सीईपीए) के तहत उद्गम प्रमाण पत्र नामित एजेंसियों द्वारा परिशिष्टों के परिशिष्ट 2ख और आयात निर्यात प्रपत्रों के अनुसार जारी किए जाते हैं। लेनदेन लागत को कम करने के लिए स्व-प्रमाणीकरण की एक नई वैकल्पिक प्रणाली शुरू की जा रही है। (ii) जो निर्माता स्थिति धारक भी हैं, वे अनुमोदित निर्यातक स्कीम के लिए पात्र होंगे। अनुमोदित निर्यातक अपने निर्मित माल को भारत से उद्गम होने वाले माल के रूप में स्व-प्रमाणित करने के हकदार होंगे, जिससे वह विभिन्न पीटीए / एफटीए / सीईसीए / सीईपीए जो परिचालन में हैं के तहत तरजीही व्यवहार के लिए अर्हता प्राप्त कर सकें। स्व-प्रमाणीकरण केवल उन वस्तुओं के लिए अनुमत होगा जो निर्माताओं को जारी औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आइईएम) / औद्योगिक लाइसेंस (आइएल) /आशय पत्र (एलओआइ) के अनुसार निर्मित हैं। (iii) डीजीएफटी द्वारा स्थिति धारकों को आवश्यक बुनियादी संरचना, क्षमता और प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता के आधार पर स्व-प्रमाणीकरण के लिए अनुमोदित निर्यातकों के रूप में मान्यता दी जाएगी, जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.94 में विवरण के साथ परिशिष्टों के परिशिष्ट 2च और आयात निर्यातक प्रपत्रों में दिया गया है। (iv) स्कीम का विवरण, दंड प्रावधानों सहित, परिशिष्टों के परिशिष्ट 2च और आयात निर्यात प्रपत्रों में दिया गया है और यह तभी प्रभावी होगा जब भारत इस स्कीम को अपने भागीदार / भागीदारों के साथ एक विशिष्ट समझौते में शामिल करेगा और इसे डीजीएफटी द्वारा उचित रूप से अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा जिन इकाइयों को एफटीए / पीटीए के तहत द्विपक्षीय रूप से ऐसे स्व-प्रमाणीकरण प्रदान किए जाएंगे, वे उस एफटीए के प्रावधानों और शर्तों के अधीन होंगे।	2.62 (क) उद्गम प्रमाण-पत्र जारी करना (i) भारत से निर्यात के लिए उद्गम प्रमाण पत्र (सीओओ) केवल विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्राधिकृत एजेंसियां ही जारी कर सकती हैं। (ii) प्राधिकृत एजेंसियां विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए तरीके से उद्गम प्रमाण-पत्र जारी करेंगी। (iii) सभी आइईसी धारक जो उद्गम प्रमाण-पत्र का लाभ उठाते हैं, स्वचालित सत्यापन को सक्षम करने के लिए दोनों उद्गम प्रमाण-पत्र और संबंधित शिपिंग बिलों में समान चालान संख्या का उपयोग करेंगे। (ख) उद्गम प्रमाणपत्र के स्व-प्रमाणन के लिए अनुमोदित निर्यातक स्कीम (i) वर्तमान में, विभिन्न तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए), मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए), व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों (सीईसीए) और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों (सीईपीए) के तहत उद्गम प्रमाण पत्र, परिशिष्टों के परिशिष्ट 2ख और आयत निर्यात प्रपत्रों के अनुसार नामित एजेंसियों द्वारा जारी किए जाते हैं। लेनदेन लागत को कम करने के लिए स्व-प्रमाणीकरण की एक नई वैकल्पिक प्रणाली शुरू की जा रही है। (ii) जो निर्माता स्थिति धारक भी हैं, वे अनुमोदित निर्यातक स्कीम के लिए पात्र होंगे। अनुमोदित निर्यातक अपने निर्मित माल को भारत से उद्गम होने वाले माल के रूप में स्व-प्रमाणित करने के हकदार होंगे, जिससे वह विभिन्न पीटीए / एफटीए / सीईसीए / सीईपीए जो परिचालन में हैं के तहत तरजीही व्यवहार के लिए अर्हता प्राप्त कर सकें। स्व-प्रमाणीकरण केवल उन वस्तुओं के लिए अनुमत होगा जो निर्माताओं को जारी औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आइईएम) / औद्योगिक लाइसेंस (आइएल) /आशय पत्र (एलओआइ) के अनुसार निर्मित हैं। (iii) डीजीएफटी द्वारा स्थिति धारकों को आवश्यक बुनियादी संरचना, क्षमता और प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता के आधार पर स्व-प्रमाणीकरण के लिए अनुमोदित निर्यातकों के रूप में मान्यता दी जाएगी, जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.94 में विवरण के साथ

पैरा सं.	मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
		परिशिष्टों के परिशिष्ट 2च और आयात निर्यातक प्रपत्रों में दिया गया है। (iv) स्कीम का विवरण, दंड प्रावधानों सहित, परिशिष्टों के परिशिष्ट 2च और आयात निर्यात प्रपत्रों में दिया गया है और यह तभी प्रभावी होगा जब भारत इस स्कीम को अपने भागीदार / भागीदारों के साथ एक विशिष्ट समझौते में शामिल करेगा और इसे डीजीएफटी द्वारा उचित रूप से अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा जिन इकाइयों को एफटीए / पीटीए के तहत द्विपक्षीय रूप से ऐसे स्व-प्रमाणीकरण प्रदान किए जाएंगे, वे उस एफटीए के प्रावधानों और शर्तों के अधीन होंगे।

इस अधिसूचना का प्रभाव: उद्गम प्रमाण पत्र केवल इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं। निर्यातकों को स्वचालित उपयोग सत्यापन को सक्षम करने के लिए उद्गम प्रमाण पत्रों और शिपिंग बिलों में समान चालान संख्या का उपयोग करना अनिवार्य है।

[फा. सं. 01/02/60/एएम-25/ईजीएंडटीएफ]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2026

No. 05/2026-27

Subject: Amendments to Para 2.62 of Foreign Trade Policy 2023.

S.O. 1806(E).— In the exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, as amended from time to time, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2023, the Central Government hereby makes the following amendments to Para 2.62 with immediate effect in Chapter 2 of FTP 2023:

Para No.	Existing Para	Amended Para
2.62	Approved Exporter Scheme for Self-Certification of Certificate of Origin (i) Currently, Certificates of Origin under various Preferential Trade Agreements [PTA], Free Trade Agreements [FTAs], Comprehensive Economic Cooperation Agreements [CECA] and Comprehensive Economic Partnerships Agreements [CEPA]	2.62. (a)Issuance of Certificates of Origin (i) Certificates of Origin (CoO) for exports from India can only be issued by agencies authorized by the Directorate General of Foreign Trade.

Para No.	Existing Para	Amended Para
	are issued by designated agencies as per Appendix 2B of Appendices and Aayat Niryat Forms. A new optional system of self-certification is being introduced with a view to reducing transaction cost. (ii) The Manufacturers who are also Status Holders shall be eligible for Approved Exporter Scheme. Approved Exporters will be entitled to self-certify their manufactured goods as originating from India with a view to qualifying for preferential treatment under different PTAs/FTAs/CECAs/CEPAs which are in operation. Self-certification will be permitted only for the goods that are manufactured as per the Industrial Entrepreneurs Memorandum (IEM) / Industrial License (IL) /Letter of Intent (LOI) issued to manufacturers. (iii) Status Holders will be recognized by DGFT as Approved Exporters for self-certification based on availability of required infrastructure, capacity and trained manpower as per the details in Para 2.94 of Handbook of Procedures read with Appendix 2F of Appendices &AayaatNiryat Forms. (iv) The details of the Scheme, along with the penalty provisions, are provided in Appendix 2F of Appendices and AayaatNiryat Forms and will come into effect only when India incorporates the scheme into a specific agreement with its partner/s and the same is appropriately notified by DGFT. Further the entities to whom such self-certification will be extended bilaterally under FTA/PTA will be subject to the provisions and conditions of that FTA.	(ii) The authorized agencies shall issue CoOs in a manner as prescribed by DGFT from time to time. (iii) All IEC holders availing CoOsshall use the same invoice numbers in both CoOs and corresponding Shipping Bills to enable automated verification. (b) Approved Exporter Scheme for Self-Certification of Certificate of Origin (i) Currently, Certificates of Origin under various Preferential Trade Agreements [PTA], Free Trade Agreements [FTAs], Comprehensive Economic Cooperation Agreements [CECA] and Comprehensive Economic Partnerships Agreements [CEPA] are issued by designated agencies as per Appendix 2B of Appendices and Aayat Niryat Forms. A new optional system of self-certification is being introduced with a view to reducing transaction cost. (ii) The Manufacturers who are also Status Holders shall be eligible for Approved Exporter Scheme. Approved Exporters will be entitled to self-certify their manufactured goods as originating from India with a view to qualifying for preferential treatment under different PTAs/FTAs/CECAs/CEPAs which are in operation. Self-certification will be permitted only for the goods that are manufactured as per the Industrial Entrepreneurs Memorandum (IEM) / Industrial License (IL) /Letter of Intent (LOI) issued to manufacturers. (iii) Status Holders will be recognized by DGFT as Approved Exporters for self-certification based on availability of required infrastructure, capacity and

Para No.	Existing Para	Amended Para
		trained manpower as per the details in Para 2.94 of Handbook of Procedures read with Appendix 2F of Appendices &AayaatNiryat Forms. (iv) The details of the Scheme, along with the penalty provisions, are provided in Appendix 2F of Appendices and AayaatNiryat Forms and will come into effect only when India incorporates the scheme into a specific agreement with its partner/s and the same is appropriately notified by DGFT. Further the entities to whom such self-certification will be extended bilaterally under FTA/PTA will be subject to the provisions and conditions of that FTA.

Effect of this Notification: Certificates of Origin can only beissuedby agencies authorised for the purpose.Exporters are mandated to use identical invoice numbers in Certificates of Origin and Shipping Bills to enable automated utilisation verification.

[F. No. 01/02/60/AM-25/EG&TF]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA